कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 20.11.2020

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल - 44 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. गंगाराम पुत्र राम प्रसाद नि0 बनकनिया थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 427 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. संजय उर्फ कालिया पुत्र पन्ना लाल पथरकट्ट नि0 रामनगर झिन्ना थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 264 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रामकिशोर पुत्र रामबिहारी नि0 ऊँचेपुरवा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 474 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना को0नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रामू सोनकर पुत्र राम सोनकर नि0 रानीपुर थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 892 / 20, 02. दुर्गेश सोनकर पुत्र राम दुलारे सोनकर नि0 रानीपुर थाना को0नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 893 / 20, 03. राजेश कुमार पुत्र केशवदत्त नि0 विशुनपुरवा थाना को0देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 894 / 20, 04. राधेश्याम शुक्ला पुत्र रामबुलावन शुक्ला नि0 निगवा बॉध थाना को0देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 896 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा । शुक्रवार जनपद गोण्डा के थाना परसपुर पुलिस ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी अभियुक्त- विजय बहादुर सिंह पुत्र देवशरण सिंह नि0 पूरे विलन्द पेवली थाना परसपुर जनपद गोण्डा को थाना परसपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 290 / 20, धारा 323.354.452.504.506 भादवि0 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने थाना परसपुर क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ व मारपीट किया था, जिसके सम्बन्ध में पीड़िता की माँ द्वारा थाना परसपुर में उक्त आरोपी अभियुक्त के विरुद्ध अभियोंग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें परसपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

आत्महत्या के लिये प्रेरित करने का वांछित आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा । शुक्रवार जनपद गोण्डा के थाना को0देहात पुलिस ने आत्महत्या के लिये प्रेरित करने के वांछित आरोपी अभियुक्त- सतगुरु पाण्डेय पुत्र स्व0 प्रताप नारायण पाण्डेय नि0 भालू पाण्डेय पुरवा लौव्वाटेपरा थाना को0देहात जनपद गोण्डा को थाना को0देहात में पंजीकृत मु0अ0सं0- 261 / 20, धारा 306 भादवि0 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने वादी वीरेन्द्र पाण्डेय पुत्र हनुमान दत्त पाण्डेय नि0 लौव्वाटेपरा भालूपाण्डेय पुरवा थाना को0देहात जनपद गोण्डा के पिता को जमीन का बैनामा कराने को लेकर प्रताड़ित करते हुए आत्महत्या के लिये प्रेरित किया था। जिससे वादी के पिता ने प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना को0देहात में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें को0देहात पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त वांछित आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर सर्व यू0पी0 ग्रामीण बैक माधवपुर के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।